बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

पंचायती राज प्रतिनिधियों हेतु संदर्भ सामग्री

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना – राजस्थान

cecoedecon

www.cecoedecon.org.in

महिला अधिकारिता राजस्थान

UNFPA

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का परिचय

कार्यक्रम के बारे में – एक परिचय

भारत की वर्श 2011 की जनगणना के आंकड़ों में बालिकाओं का घटता हुआ शिशु लिंग अनुपात चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। जनगणना के अनुसार 0–6 वर्श आयु वर्ग के 1000 लड़कों के अनुपात में 918 लड़कियों का आंकड़ा होना पाया गया है, जो कि अब तक का सबसे कम है। राजस्थान में वर्तमान में शिशु लिंगानुपात 888 है। सन् 1961 से शिशु लिंग अनुपात में निरन्तर गिरावट दर्ज की गई है। असंतुलित लिंग अनुपात दर्शाता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम हो रही है, जो कि जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद लड़कियों के विरूद्ध भेदभाव को दर्शाता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों में बालिकाओं की घटती संख्या के बारे में जा आंकड़े दर्शाये गये हैं, उससे प्रतीत हो है कि कन्या भ्रूण हत्या समाज में एक विकृति के रूप में बढ़ रही है। इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करने की जरूरत है। बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित एवं त्वरित प्रयासों की आवश्यकता है।

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा इस विशय को अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया है। इस कारण इसे अपनी पहली चार प्राथमिकताओं में शामिल किया है एवं 22 जनवरी 2015 को देश भर में एक जन अभियान के माध्यम से शिशु लिंग अनुपात में गिरावट की समस्या का समाधान करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की है। प्रथम चरण में यह योजना भारत के उन 100 जिलों में लागू की गई थी, जिनमें लिंग अनुपात असंतुलित है। योजना से अच्छे परिणामों को देखते हुए 5 जनवरी 2016 को सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में अतिरिक्त 61 जिलों को और जोड़ते हुए इस योजना को विस्तार दिया गया है। इनमें प्रथम चरण में राजस्थान के 10 जिले तथा बाद में 4 जिले और बढ़ाते हुए 14 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, झुंझनु, सीकर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, टोंक एवं जोधपुर शामिल हैं।

ध्येय

- बलिका के जन्म को उत्सव के रूप में मनाना है, उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिए उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना।

उद्देश्य

- जेन्डर पक्षपाती लिंग जांच को रोकना।
- बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना।

लक्ष्य

- असंतुलित लिंग अनुपात वाले चयनित 161 जिलों में एक वर्श में जन्म लिंग अनुपात में 10 अंकों तक सुधार।
- पांच वर्श तक के बच्चों की शिशु मृत्यू दर में लिंग भिन्नता को 2011 में 8 अंक से 2017 तक 4 अंक तक कम करना।
- बालिकाओं के पोशण की स्थिति में सुधार – 5 वर्श तक की बालिकाएं जिनका वनज कम है तथा ऐनिमिक है उनकी संख्या को कम करना (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 स्तर के अनुसार)।
- समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) जच्चा– बच्चा सुरक्षा कार्ड का उपयोग करते हुए आई.सी.डी.एस. के सार्वभौमिकरण एवं लड़कियों की उपस्थिति एवं समान देखभाल सुनिश्चित करना।
- माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के नामांकन को वर्ष 2013–14 के 76 प्रतिशत से वर्ष 2017 तक 79 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- वर्ष 2017 तक अति असंतुलित 161 जिलों के प्रत्येक स्कूल में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय का प्रबन्ध करना।
- बालिकाओं के लिए एक सुरक्षात्मक बातावरण देने के लिए बाल यौन सुरक्षा अपराध अधिनियम, 2012 को प्रभावी रूप से कियान्वित करना।

- निर्वाचित प्रतिनिधि/ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं, समुदायों को शिशु लिंग अनुपात में सुधार और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकजुट करने हेतु सामुदायिक चैम्पियन के रूप में प्रशिक्षित करना।

अंर्तविभगीय समन्वय एवं कार्यवाही के लिए दिशा–निर्देश

- राज्य स्तर पर संबंधित विभाग जैसे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा, पंचायतीराज / ग्रामीण विकास, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पुलिस विभाग आदि के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन।
- जिला स्तर पर संबंधित विभागों जैसे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा, पंचायतिराज / ग्रामीण विकास, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं पुलिस विभाग आदि के प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन।
- खण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी / विकास अधिकारी द्वारा खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन।
- ग्राम स्तर पर समन्वय, कार्यान्वयन और कार्ययोजना की निगरानी ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोशाहार समिति जो कि ग्राम पंचायत की उप समिति है, की जिम्मेदारी होगी।

महिला अधिकारिता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक कन्वर्जेन्स आधारित योजना है, जो विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से राज्य में संचालित की जा रही है। इनमें महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अध्किारिता, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्रधिकरण, पंचायतिराज आदि विभाग प्रमुख भूमिका में है। इस योजना के कियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग है। योजना का उद्देश्य शिशु लिंगानुपात में सुधार, बालिका शिक्षा और बालिकाओं का सर्वागीण विकास सुनिश्चित करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के 14 जिलों अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुन्झनु, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, सीकर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर और टोंक में कार्यान्वित की जा रही है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कियान्वयन में भागीदारी

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के 14 जिलों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से महिला अधिकारिता निदेशालय, जिला प्रशासन, यू.एन.एफ.पी.ए. और सिकोईडिकोन भागीदार बने हैं। इस भागीदारीपूर्ण कार्यक्रम को राजस्थान के 4 जिलों – सवाई माधोपुर, दौसा, करौली और टोंक में संचालित किया जा रहा है। इसके तहत सरकार व सामाजिक संस्थाओं की क्षमतावर्धन के साथ–साथ विभिन्न हितभागियों जैसे पंचायतीराज प्रतिनिधियों व जड़ स्तरीय कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन किया जायेगा, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। साथ ही अंर्तविभागीय समन्वय को प्रोत्साहित करना भी इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण घटक है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में पंचायतों की भूमिका

बेटी बचाओ बेटी पढ़ओ योजना के सफल क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं एवं जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुशासन एवं विकास की पहली ईकाई के रूप में पंचायती राज संस्थाएं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पहचान, विकास कार्यों के नियोजन एवं उनके गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक तौर पर उत्तरदायी है। अपनी इस भूमिका के सुचारू निश्पादन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त विधायी शक्तियां प्राप्त है। बालिकाओं के जीवन एवं विकास से जुड़े सभी क्षेत्र जैसे शिक्षा, बाल विकास, स्वास्थ्य, बाल संरक्षण आदि पंचायति राज संस्थाओं की कार्यसूचि का हिस्सा है।

बालिकाओं के जीवन व विकास हेतु उचित अवसर प्रदान करने और बालिकाओं के प्रति दृश्टिकोण में व्यापक बदलाव लाने हेतु पंचायतें निम्नलिखित कदम उठा सकती है : –

शिक्षा

1. बिगड़ते लिंगानुपात से पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में विद्यालयों में वाद–विवाद प्रतियोगिताएं, निबन्ध प्रतियोगिताएं आदि आयोजित कर बच्चों में एवं माता पिता में जागृति फैलाना।
2. बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें गांवों से शहरों में बढ़ने के सिलसिले में आने जाने के लिए सुरक्षित यातायात की सुविधाएं मुहैया करवाना।
3. बालिकाओं को विद्यालय में स्वच्छ एवं अलग से शोचालय कि सुविधा उपलब्ध करवाना।
4. स्कुल छोड़ चुकि (ड्रॉप आउट) बालिकाओं का नांमाकन करवा कर उन्हें शिक्षा से जोड़ना।

स्वास्थ्य

1. आंगनबाड़ी/स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्ती आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता से ही तालमेल बना कर नियमित रूप से पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठकों के जरिए गर्भवती माताओं की बच्चे के जन्म तक निगरानी रखना।
2. ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोशण समिति (वी.एच.एन.सी.) को मज़बूत बनाना।
3. नियमित स्वास्थ्य दिवस मनाना।
4. सम्पूर्ण टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करना।

महिलाएं एवं किशोरियां

1. ग्राम सभा की नियमित बैठकों द्वारा ग्रामीणों को समाज में बिगड़ते लिंगानुपात से पैदा होने वाली समस्याओं से अवगत कराना और महिलाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच पैदा करना।
2. सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महिलाओं के योगदान की चर्चा करना।
3. महिलाओं एवं युवतियों को आत्म निर्भर बनाने के लिए उन्हें गांव में ही रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देना ताकि वे स्वतंत्र रूप से आजीविका कमा सकें।
4. गांव में बालिकाओं एवं युवतियों का खेलों में रूझान पैदा करने के लिए न सिर्फ सुविधाएं उपलब्ध करवाना, बल्कि ग्राम स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित कर उन्हें खंड, जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करना।
5. घरेलू हिंसा एवं अन्य सामाजिक उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की मद्द करना।
6. एक वर्श के दौरान पैदा होने वाली सभी बालिकाओं का प्रतिवर्श एक दिन सामूहिक जन्म दिवस आयोजित करना। यदि पंचायतें पहल करें तो शादी–विवाह जैसे कार्यक्रमों को हर वर्श के दौरान सामूहिक रूप से आयोजित कर खर्चे को कम किया जा सकता है, जो विपरीत लिंगानुपात का एक कारण भी है।

घटते बाल लिंगानुपात में सुधार हेतु

बाल अनुकूल पंचायत

बाल अनुकूल पंचायत वह है जो बच्चों की निगरानी और उन्हें एक हिंसा मुक्त सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है। गांव के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें लगातार हस्तक्षेप करना चाहिये।

1. निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के अधिकार सुरक्षित हों।
2. बच्चों के अधिकारों को समझना और जैंडर संवेदनशीलता और लिंग चयन आधारित गर्भपात को रोकने के लिए कानूनों, आरोपियों के खिलाफ मामलों का पंजीकरण सुनिश्चित करना, बच्चों के अधिकार के उल्लंघन के बारे में उन्हें शिक्षित करना और कम आयु में शादी से उत्पन्न स्वास्थ्य के खतरों के बारे में

जनसामान्य के बीच जागरूकता पैदा करना।

3. पंचायत की देखरेख में गांव में हुए सभी जन्म और मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें।
4. सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता और लिंग संवेदनशीलता के प्रसार द्वारा बालिकाओं के प्रति अपराधों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए समुदाय को संगठित करना।
5. गांव में ए.एन.एम. और दाई के साथ सतत् संपर्क स्थापित करें क्योंकि उनके साथ सम्पर्क होने पर ही बालिकाओं के प्रति हुए किसी भी अपराध के बारे में आपको पता चल सकता है।
6. सभी ढोंगी व्यक्ति और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाएं जो बालिकाओं की हानि और अपने लाभ के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक का दुरूपयोग करते हैं।
7. एक नियमित अन्तराल पर ग्राम सभा के साथ बच्चों के अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा करें।
8. बच्चों के माता पिता को शामिल कर अपने गांव में बच्चों के संरक्षण की निगरानी इकाई या प्रकोठ की स्थापना करें। इस इकाई की भूमिका लापता बच्चों तथा देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों का रिकार्ड रखना और पुलिस या अन्य संबंधित अधिकारियों को बच्चों के दुरूपयोग, जेंडर पक्षपाती लिंग चयनित गर्भपात और बाल विवाह के मामलों की रिपोर्ट की जानी चाहिए।
9. पंचायत द्वारा बच्चों और परिवारों की पहचान की जानी चाहिए जिन्हें सहायता की आवश्यकता है और मौजूदा सरकारी योजनाओं में से किसी के माध्यम से मद्द की जा सकती है। ऐसे बच्चों और परिवारों की एक सूची सीधे ब्लॉक/पंचायत सदस्य या खंड विकास और पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) को सौंपी जा सकती है।

घटते बाल लिंगानुपात हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एक प्रभावी व्यवस्था के निर्माण के लिए जनप्रतिनिधि नीचे उल्लेख किये गये अधिकारियों/कार्मिकों के साथ सतत् सम्पर्क बनाये रखें :–

1. चिकित्सक
2. पुलिस
3. पंचायत सचित विद्यालय अध्यापक
4. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता
5. सीडीपीओ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा व साथिन
6. ब्लॉक/तालुका/मंडल और जिला पंचायत सदस्य
7. खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) या खंड विकास और पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ)
8. जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलेक्टर

ग्राम सभा

ग्राम सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों का ग्राम निकाय भी है। यह गांव सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सदस्यों की एक परिशद है। ग्राम सभा घटते बाल लिंगानुपात पर अंकुश लगाने के लिए निम्नाकित तरीकों से योगदान कर सकती है।

1. जेंडर पक्षपाती लिंग चयनित गर्भपात के मुद्दे पर जागरूकता का सृजन/प्रसार।
2. जेंडर पक्षपाती लिंग चयनित गर्भपात को रोकने के लिए बालिकाओं से संबंधित मुद्दों और विभिन्न अधिनियमों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
3. एक सतर्कता समूह के रूप में युवाओं की भागीदारी द्वारा समस्या की पहचान और ग्राम सभा को सूचित करना।
4. गर्भावस्था का पंजीकरण, बच्चे के जन्म और वृद्धि की निगरानी तथा एमसीपी कार्ड के उपयोग जैसे आईसीडीएस सेवाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता करना जो बालिकाओं को बचाने के लिए सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
5. जेंडर समानता का समर्थन और ग्राम सभा में इस विशय पर बात करना।
6. ग्राम सभा सदस्यों/स्थानीय हितधारकों को अस्पतालों/नर्सिंग होम के बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए जो अवैध लिंग निर्धारण और लिंग चयनित गर्भपात में लिप्त हैं।
7. डॉक्टर का लाईसेंस रद्द/स्थायी समाप्ति हेतु अनुशंसा जो इस जघन्य अपराध में शामिल रहे हैं।
8. राज्य और स्थानीय पंचायत के दो व्यक्ति और ती महिला कार्यकर्ताओं के साथ जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी, परिवार कल्याण अधिकारी, बाल रोग विशेशज्ञ, स्त्री रोग विशेशज्ञ की अध्यक्षता में एक ग्राम स्तरीय पर्यवेक्षण समिति ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पाशण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.) का गठन किया जाये।
9. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ओ योजना के उद्देश्यों की प्राप्ती के लिए एक ग्राम स्तरीय पर्यवेशण समिति का गठन करना और उसे सुचारू बनाना।

बीबीबीपी आदर्श ग्राम पंचायत

आदर्श ग्राम पंचायत एक एसी ग्राम पंचायत है जहां सभी हितधारक समन्वय के साथ बच्चियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे। पंचायत के विकास में अपनी भूमिका निभाने के साथ ही बच्चियों का समाज में महत्व को बढ़ाना, उनकी सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करना, बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। व्यापक संस्थागत तंत्र के माध्यम से जेण्डर समानता की पुश्टि करना और महिलाओं के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना बीबीबीपी आदर्श ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण विशेशता होगी। इसके अलावा गांव स्तर की योजना में उच्च स्तर का कन्वर्जेन्स उनको विकसित करने में सहायक होग।

आदर्श ग्राम पंचायत के विकास में पंचायती राज की भूमिका

पंचायती राज शासन की व्यवस्था है, जिसमें ग्राम पंचायत प्रशासन की मूल इकाई है। पंचायतें ग्रामीण विकास की रीड की हड्डी है क्योंकि वे कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण के लिए जवाबदेह है। समुदाय के साथ नजदीकी सम्पर्क होने के कारण पंचायती राज सदस्यों को दोहरी भूमिका निभानी है। उन्हें सवाओं, व्यवस्थाओं, जागरूकता व जानकारी के स्तर में अन्तर की पहचान करनी होगी और साथ ही वे सुधारात्मक उपायों से सरकारी व्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में लड़कियों के प्रति समुदाय के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है, और विशेश रूप से लड़कियों व महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए मज़बूत प्रणाली की आवश्यकता है। कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में पंचायती राज सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

आदर्श ग्राम पंचायत के विकास में पंचायती राज सदस्यों की भूमिका

1. नियमित ग्राम सभा सुनिश्चित करना।
2. गांव स्तर पर विद्यालय सुनिश्चित करना।
3. स्कुलों में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करना।
4. सरकारी योजनाओं के कियान्वयन में आ रही कमियों को उजागर करना।
5. लड़कियों व महिलाओं की सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करना।
6. आदर्श ग्राम पंचायत के विकास हेतु समुदाय को एकत्रित करना।

आदर्श ग्राम पंचायत के संकेतक

- गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण
- जन्म पंजीकरण संख्या में वृद्धि
- सम्पूर्ण टीकाकरण
- कुपोशित बालिकाओं की संख्या में कमी
- ग्राम पंचायत स्तर पर समूहों से जुड़ी किशोरियों की संख्या में वृद्धि
- बालिकाओं के अनुकूल विद्यालय

- स्कुल से ड्रॉपआउट बालिकाओं की संख्या में कमी
- लड़कियों को स्कुल में शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना
- बाल विवाह की संख्या में कमी
- वी.एच.एन.सी., एस.एम.सी. एवं ग्राम स्तरीय अन्य समितियों का कियाशील होना
- सरकारी योजनाओं तक पहुंच बढ़ना– लड़कियों की संख्या/महिलाओं का इन योजनाओं का लाभ लेना
- 100 प्रतिशत संस्थागत प्रसव

राजस्थान में बाल लिंगानुपात और पीसीपीएनडीटी कानून

तथ्य एवं आंकड़े :

राज्य में लिंगानुपात 2001 में 921 महिलाएं प्रति 1000 पुरूष था, वह बेहतर होकर 2011 में 926 हो गया परन्तु इसी दशक में बाल लिंगानुपात में तीव्र गिरावट दर्ज़ की गई और पिछली जनगणना (2001) में प्रति हजार बालकों पर बालिकाओं की संख्या 909 थी जो 2011 में घटकर 888 हो गई है।

राजस्थान में व्यस्कों का लिंगानुपात			राजस्थान में बच्चों का लिंगानुपात (0–6 वर्ष)		
वर्ष	पुरूष	महिला	वर्ष	बलक	बलिकाएं
2001	1000	921	2001	1000	909
2011	1000	926	2011	1000	888

अल्ट्रासाउण्ड या सोनोग्राफी तकनीक का दुरूपयोग, भ्रूण की लिंग जांच को रोकने के लिए प्रसव–पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट), 1994 बनाया गया है। इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं –

- गर्भ में पल रहे भ्रूण की जन्म पूर्व लिंग जांच करना या करवाना कानूनन अपराध है।
- किसी भी व्यक्ति द्वारा शब्दों, इशारों या अन्य तरीकों से गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिंग के बारे में बताना दण्डनीय अपराध है।
- गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच कराने पर 3 साल तक की कैद और रूपए 10,000 तक के जुर्माना का प्रावधान है।
- दोबारा ऐसा अपराध करने पर 5 साल की जेल और 50,000 रूपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस तरह की जांच करने वाले डॉक्टर एवं तकनीकी सहायक को 3 साल की कैद और 5,000 रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।
- डॉक्टर या तकनीकी सहायक द्वारा दोबारा अपराध करने पर 3 साल की जेल और 50,000 रूपए तक जुर्माना हो सकता है।
- गर्भ में भ्रूण की लिंग जांच करने वाले केन्द्रों का पंजीयन रद्द किया जाता है। इन्हें सील कर दिया जाता है। इन्हें दोबारा संचालित नहीं किया जा सकता है।
- गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच लिंग चयन संबंधी ज्ञान देना अपराध है। ऐसा करने वाले को 3 साल की जेल और रूपए 10,000 जुर्माना हो सकता है।
- यदि गर्भवती महिला की सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउण्ड तकनीक जांच की जाती है, तो अल्ट्रासाउण्ड करने वाले को दो साल तक जांच का ब्यौरा रखना होगा। ऐसा नहीं करने पर सजा हो सकती है।
- जांच के लिए गर्भवती महिला से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। महिला को इस अनुमति की प्रतिलिपि देना भी जरूरी है।

पंचायत क्या कर सकती है –

- ग्राम सभा में इस कानून की जानकारी दें।
- पंचायत कन्या जन्म पर खुशी मनाने एवं परिवार को बधाई पत्र देने की परंपरा शुरू कर सकती है। कन्या के माता–पिता को पंचायत सम्मानित कर सकती है।
- पंचायत बालिका एवं महिलाओं के सम्मान तथा गरिमा को सुनिश्चित करें।
- जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए निगरानी समूहों का निर्माण।
- ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय ब्राण्ड एम्बेस्डर का चयन ।

- अवैध एवं अयोग्य (झोलाछाप) डॉक्टरों व क्लिनिकों पर कार्यवाही।
- आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करें।

लिंग जांच की किसी घटना या संस्थान का पता लगाने या कलेक्टर, एसडीएम या मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तुरंत सूचना देनी चाहिए। अगर ऐसी सूचना है तो हेल्प लाईन नंबर 104, 0141– 2222422 पर सूचित करना चाहिए। pcpndt_raj@nic.in, pcpndtcsr@gmail.com पर ई–मेल भी की सकते हैं।

बाल संरक्षण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

भारत सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत देखरेख एवं सरंक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने, बाल संरक्षण सेवाओं की बेहतर पहुंच एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार के साथ सतत् निगरानी करने के लिए समुदाय एवं अन्य विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है।

1. पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन के उद्देश्य :

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2011 के तहत् गठित समिति निम्नांकित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी:–

1. बाल अधिकार एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समझ स्थापित कर समस्त पंचायतों को जागरूक करना।
2. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा चिन्हित किये गये जोखिम एवं संकट ग्रस्त बच्चों को योजनाओं का लाभ दिलाने में विभाग की सहायता करना।
3. बाल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने हेतु संबंधित पंचायत, सरपंच एवं समुदाय को जागरूक किये जाने हेतु पहल करना।
4. जिला परिषद् को बच्चों की कार्य योजनाएँ बनाकर बजट आवंटित कराने में सहयोग प्रदान करना।
5. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को दिये गये कार्य योजना को लागू कराने में जिला बाल संरक्षण इकाई को समुचित सहयोग प्रदान करना।
6. बच्चों के संरक्षण से संबंधित सभी कानून, योजनाएं, नीतियां, सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना एवं समय–समय पर प्रशिक्षण आयोजित कराने में सहयोग प्रदान करना।
7. बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसे:– पालनहार, छात्रवृत्ति, शिक्षा, आंगनबाड़ी सेवाएं, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना इत्यादि) सेवाओं को अविलम्ब प्रदान किये जाने में सहयोग प्रदान करना।

2. पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचना :

पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 349 दिनांक 4.12.2012 के अनुसार निम्नानुसार किया गया है :

क्र.सं.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1.	प्रधान, पंचायत समिति	अध्यक्ष
2.	विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति	सदस्य–सचिव
3.	अध्यक्ष, ग्राम पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति (समस्त सरपंच)	सदस्य
4.	जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नामित)	सदस्य
5.	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	उप पुलिस अधीक्षक, संबंधित पंचायत समिति	सदस्य
7.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति	सदस्य
8.	श्रम कल्याण अधिकारी/श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग द्वारा नामित	सदस्य
9.	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) संबंधित ब्लॉक/ पंचायत समिति	सदस्य
10.	ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित ब्लॉक / पंचायत समिति	सदस्य
11.	समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/ नागरिक समाज के प्रतिनिधि (कम से कम एक महिला)	सदस्य

आपकी पंचायत क्या कर सकती है –

- ग्राम पंचायतों की बैठकों एवं ग्राम सभाओं में बाल अधिकारों पर चर्चा को बैठक के एजेण्डे में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए एवं उन पर निरन्तर चर्चा करनी चाहिए।
- आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चे और उनके अभिभावकों को शामिल करते हुए एक 'निरीक्षण समिति' का गठन करना चाहिए। यह समिति सभी गुमशुदा/लापता बच्चों का रिकार्ड रखें, वंचित एवं जरूरतमंद बच्चों की देखभाल करें और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस या सरकारी कार्यालयों को सूचित करें।
- 0–6 वर्ष के सभी बच्चों का आंगनबाड़ी में पंजीकरण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उनके वृद्धि चार्ट का भरा जाना तथा सभी बच्चों को पूरक पोषाहार दिलवाना सुनिश्चित करावें।
- 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का विद्यालयों में पंजीकरण एवं ठहराव सुनिश्चित करावें तथा मध्यान्ह भोजन, संपूर्ण स्वच्छता (निर्मल भारत अभियान) पेयजल आदि सुनिश्चित करावें।
- बालिकाओं के नामांकन व ठहराव पर विशेष निगरानी रखें।

कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए पंचायत सदस्य क्या करें?

- जनमानस को उक्त कानून से अवगत करायें।
- लोगों को जागरूक करने के साथ–साथ भ्रूण हत्या के रोकथाम के प्रयास करें, यदि फिर भी भ्रूण हत्या होती है तो इसका संज्ञान लेकर रिपोर्ट (FIR) / सूचना दर्ज करायें।
- पंचायत में अपने क्षेत्र में प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु की सूचना को दर्ज करने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।
- सर्वशिक्षा अभियान एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों से लिंग भेदभाव के खिलाफ महौल बनायें।
- समाज एवं समुदाय को ऐसे जघन्य अपराध के खिलाफ तैयार करें।
- अपने आस–पास के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, व ए0एन0एम0 के साथ जानकारी का आदान– प्रदान करें और लगातार संपर्क में रहें।
- क्षेत्र में फैले हुए झोलाछाप डाक्टरों या अपंजीकृत क्लिनिकों द्वारा किये जा रहे बालिका भ्रूण जांच आदि के खिलाफ कठोर कार्यवाही करावें और लोगों को जागरूक करें।
- पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों में किशोर–किशोरी क्लब की स्थापना कर उनके माध्यम से जागरूकता व निगरानी सुनिश्चित करें।

अपनी पंचायत को 'कन्या भ्रूण हत्या विरोधी' पंचायत घोषित करें।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर.टी.ई.एक्ट.)

- भारत का संविधान, 6 से 14 वर्ष तक की आयु समूह के सभी बच्चों को राज्य कानून द्वारा निर्धारित विधि अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.), अधिनियम, 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव हुआ, इसमें अनुच्छेद 21–ए के तहत परिणामी विधान दर्शाए गए हैं।
- इसका अर्थ है, प्रत्येक बच्चे को एक ऐसे औपचारिक स्कूल में संतोष तथा समानता के साथ पूर्ण आरंभिक शिक्षा पाने का अधिकार है जहां निश्चित अनिवार्य मानक और स्तर पूरे किए जाते हैं।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर.टी.ई. एक्ट) निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता हैं :

- बच्चे को पास के स्कूल में आरंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है।
- आरटीई अधिनियम की धारा 11 कहती है कि 'तीन वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को आरंभिक शिक्षा के लिए तैयार करने एवं 6 वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चों को आंरभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के विचार से इन बच्चों को निःशुल्क शालापूर्व शिक्षा प्रदान करने की अनिवार्य व्यवस्था उपयुक्त सरकार द्वारा की जाए'।
- इसमें स्पष्ट किया गया है कि 'अनिवार्य शिक्षा' का अर्थ है उचित सरकार द्वारा बच्चों को निःशुल्क आरंभिक शिक्षा प्रदान करना और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की आरंभिक शिक्षा पूरी होने तक अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करना। निःशुल्क का अर्थ है किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का शुल्क या प्रभार या व्यय नहीं देना होगा जो उसे आरंभिक शिक्षा पाने और पूरा करने से रोके।
- इसमें बच्चों का आयु उपयुक्त कक्षा में प्रवेश के प्रावधान दिये गए हैं।
- इसमें बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के बारे में उचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी और माता–पिता के कर्त्तव्य तथा जिम्मेदारियां बताई गई है तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय तथा अन्य जानकारियां साझा करने की जानकारी दी गई है।
- इनमें मानक और स्तर बताने के साथ अध्यापक छात्र अनुपात (पीटीआर), भवन और मूल संरचना, स्कूल के कार्य दिवस, अध्यापक के कार्य समय बताए गए हैं।
- यह अध्यापकों को युक्ति संगत तैनाती से सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक स्कूल के लिए निर्दिष्ट अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखा जाए, बजाए इसके कि राज्य या जिला या ब्लॉक के औसत से तय किया जाए और इस प्रकार सुनिश्चित किया जाए कि अध्यापकों के पदों में शहर – ग्राम असंतुलन नहीं है। इसमें गैर शैक्षिक कार्यों, जैसे दशक में की जाने वाली जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण में निर्वाचन, राज्य विधानसभा और संसद के निर्वाचन तथ आपदा राहत के अलावा अन्य कार्यों के लिए अध्यापकों की तैनाती निषिद्ध की गई है।
- इसमें उचित रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों (शैक्षिक योग्यता वाले अध्यापक) की नियुक्ति बताई गई है।
- इसमें संविधान में बताई गई मान्यताओं के अनुरूप पाठ्यचर्चा का विकास बताया गया है और इससे बच्चे का बहुमुखी विकास सुनिश्चित होगा, बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा, बच्चा सक्षम और प्रतिभावान होने के साथ बाल अनुकूल और बाल केन्द्रित अधिगम प्रणाली के माध्यम से भय, अभिघात और चिंता से मुक्त बनेगा।

- यह निषेध करता है; क) शारीरिक दण्ड और मानसिक उत्पीड़न, ख) बच्चों के प्रवेश के लिए जांच प्रक्रिया, ग) कैपिटेशन शुल्क, घ) अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और ड) मान्यता के बिना स्कूल चलाना।

आपकी पंचायत क्या कर सकती है –

- बालिकाओं के लिए विद्यालय में उपयुक्त/सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें।
- महिला शिक्षिकाओं की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करें।
- बालिकाओं की विद्यालय में नियमित उपस्थिति, ठहराव व सतत् शिक्षा हेतु जनभागीदारीपूर्ण व्यवस्थाओं के निर्माण में मदद करें।